>

Title : Need to resolve the issue of share of Rajasthan in water of Yamuna river.

डॉ. किरोड़ी लाल मीणा (दौसा): दिनांक 12.5.94 को बेसिन राज्यों हरियाणा, राजथान, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली संघीय राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुरूप राजस्थान को 1.119 बीसीएम यमुना जल आवंटित किया गया। अपर यमुना नदी बोर्ड की 22वीं बैठक जो कि दिनांक 21.12.2001 को आयोजित हुई उसमें राजस्थान का मानसून सत्र में ताजेवाला हैडवर्क्स से 1917 क्यूसेक तथा ओखला हैडवर्क्स से 1281 क्यूसेक यमुना जल का आबंटन किया गया। राज्य ने इस जल को भरतपुर एवं चुरू–झुंझुनूं जिलों में उपयोग हेतु दो प्रस्ताव (कार्य योजना) तैयार की है। केन्द्रीय जल आयोग ने हरियाणा से इस पर सहमति लेने की शत पर इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। दिनांक 14.2.03 को हरियाणा राज्य को सहमति हेतु एमओयू भेजा गया था। हरियाणा ने ताजेवाला हैड से यमुना जल के आबंटन पर इस आधार पर असहमति दर्शायी कि ताजेवाला हैड पर आबंटित जल, हरियाणा द्वारा ताजेवाला पर विद्यमान जल के उपयोग की रक्षा नहीं करता है, इसलिए उसने यह प्रकरण अपर यमुना रिव्यू कमेटी को प्रेषित कर दिया।

अपर यमुना रिव्यू कमेटी की दिनांक 12.4.06 की बैठक में राजस्थान को ताजेवाला से जल उपलब्धता के बारे में अपर यमुना रिव्यू कमेटी के निर्णयों के परिपेक्ष्य में इस मुद्दे पर ताजा विचार करने हेतु राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश, राज्यों के सिंचाई /जल संसाधन सचिवों की एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया।

हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों के बीच ताजेवाला हैडवर्क्स पर पानी की उपलब्धता पर कोई मतभेद नहीं था। दोनों के विचारों में यह समानता थी कि राजस्थान के चुरू एवं झुंझुनूं जिलों के क्षेत्रों को ताजेवाला हैडवर्क्स से पानी उपलब्ध कराया जा सकता है। लेकिन पानी को राजस्थान सीमा तक पहुंचाने हेतु नहरी तंत्र के विषय में सहमति नहीं बन पाई। हरियाणा का विचार था कि राजस्थान वेस्टर्न यमुना केनाल, दिल्ली ब्रांच, जे.एल.एन. फीडर के समान्तर एक नई नहर का निर्माण राजस्थान सीमा तक करके पानी ले जावें। जबकि राजस्थान का विचार था कि ताजेवाला से वेस्टर्न यमुना कैनाल एवं इसकी प्रणाली को रिमोडल करके पानी राजस्थान सीमा तक पहुंचाना तकनीकी– वित्तीय दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ रहेगा।

एम्पावर्ड कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिनांक 29.12.2007 को केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को अपर यमुना रिव्यू कमेटी के समक्ष विचारार्थ के लिए प्रेषित कर दी।

दिनांक 19.06.2009 को जयपुर में हरियाणा राज्य की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, प्रमुख शासन सचिव, सिंचाई विभाग ने तथा राजस्थान राज्य की ओर से माननीय मुख्यमंत्री, जल संसाधन मंत्री तथा प्रमुख शासन सचिव जल संसाधन, राजस्थान ने दोनों राज्यों के मध्य विभिनन विषयों पर आपसी विचार विमर्श किया। जिसमें राजस्थान में हरियाणा राज्य में से होकर ताजेवाला हैडवर्क्स से यमुना जल लाने के विषय पर विचार विमर्श किया गया एवं तय किया गया कि हरियाणा एवं राजस्थान के प्रमुख शासन सचिव मिलकर राजस्थान को यमुना जल देने हेतु विचार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान ने अपने पत्र दिनांक 7.4.2010 द्वारा जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार से निवेदन किया है कि वे हरियाणा से कहे कि केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्रस्ताव के अनुसार ताजेवाला एवं ओखला बैराज से ही चुरू, झुंझुनूं व भरतपुर जिलों को पानी देने वाली परियोजना रिपोर्ट पर वह अपनी सहमति भेजे। इसी दौरान पत्रांक 15.12.09 के द्वारा मुख्यमंत्री, हरियाणा ने केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री से आग्रह किया कि वह अध्यक्ष, अपर यमुना रीवर बोर्ड को निर्देशित करे तथा हरियाणा तथा राजस्थान के मुख्य अभियंताओं की एक बैठक आयोजित करे, जसमें राजस्थान को ताजेवाला की बजाय माबी (जिला पानीपत) पर एक बैराज बनाकर यमुना जल देने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया जाये। किन्तु, इस संबंध में दिनांक 13.4.2010 को अध्यक्ष अपर यमुना रीवर बोर्ड ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा केन्द्रीय जल आयोग के मुख्य अभियंताओं की एक बैठक आयोजित की, जिसमें अध्यक्ष, अपर यमुना रीवर बोर्ड ने माबी पर बनने वाले प्रस्तावित बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि के आकलन का कार्य उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा को दिया। माबी पर जल उपलब्धतता के आंकड़ों के आकलन का कार्य केन्द्र जल आयोग को दिया गया। हरियाणा से अभी तक कोई प्रगति रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक दिनांक 19.7.2011 को नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान की ओर से माननीय जल संसाधन मंत्री, अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन ने भाग लिया। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अपर यमुना रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान को ताजेवाला हैडवर्क्स से आबंटित जल के प्रकरण को हरियाणा तथा राजस्थान आपसी सहमति से सुलझाये, यदि जरूरत हो तो इस प्रकरण को सुलझाने के लिए केन्द्रीय जल आयोग की मदद भी ली जा सकती है। अतः केन्द्र इस समस्या का निपटारा शीघ्र करे।

MADAM SPEAKER: Now, we will take up '*Zero Hour*'.

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : प्लीज, आप लोग बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: I am starting the '*Zero Hour.*

...(*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदया : बैठ जाइए।

â€¦(व्यवधान)

MADAM SPEAKER: Yes, the Leader of Opposition.

...(*Interruptions*)